राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (108) परि/नियम/मु./2010/34674 जयपुर,दिनांक: 02/05/17

कार्यालय आदेश....14..../2017

परिवहन जिला जयपुर के निवासियों को वाहन चालक लाईसेंस संबंधी सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से जयपुर शहर में कार्यरत तीनों कार्यालयों (प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, झालाना डूंगरी, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा एवं जिला परिवहन कार्यालय, विद्याद्यर नगर) में से किसी भी कार्यालय से लाईसेंस संबंधित सेवाऐं प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः

1. दुपहिया एवं हल्का मोटर यान (LMV) श्रेणी के लाईसेंस धारकों को परिवहन श्रेणी के वाहन चलाने का प्राधिकार (Authorisation) प्रदान करने का कार्य किसी भी कार्यालय में आवदेक की इच्छानुसार जारी किया जायेगा।
2. स्थाई लाईसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट, अन्य जिलों/राज्यों से प्रथम बार राज्य में आने वाले व्यक्तियों के लाईसेंस हेतु पता परिवर्तन एवं अन्य जिलों/राज्यों द्वारा लाईसेंस धारकों के संबंध में एन.ओ सी के सत्यापन संबंधी कार्य किसी भी कार्यालय में आवेदक की इच्छानुसार प्राप्त किया जा सकेगा।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक: प.7 (108) परि/नियम/मु./2010/34675-80 जयपुर, दिनांक: 02/05/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

1/5/2017

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)